**संख्या:699/2023/1541/35-4-2023/001-35-4099/146/2021**

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 05 जुलाई, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश संख्या-230/2021/1985/35-4-2021, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 250 कार्यों की रू. 10357.67 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र सं0-155/त्व0आ0वि0यो0/2023-24, दिनांक 17 मई, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 250 कार्यों में से प्रश्नगत 11 कार्यों की अनुमोदित लागत रू. 1136.05 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि रू. 109.66 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय धनराशि रू. 916.39 लाख (रूपये नौ करोड़ सोलह लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

| क्र. सं. | कार्य का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्व मे अवमुक्त धनराशि | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | **सड़क निर्माण से संबंधित कार्य** | | | |
| 1 | हल्ला नरिया टोला प्रथम की आन्तरिक गलियों में इ0ला0 टाइल्स द्वारा गली का सुधार कार्य। | 57.63 | 5.56 | 52.07 |
| 2 | मुहल्ला हाता एवं साई धाम की आन्तरिक गलियों में नाली का निर्माण कार्य। | 118.85 | 11.47 | 107.38 |
| 3 | मुहल्ला भलोटिया में आन्तरिक गलियों में नाली का निर्माण कार्य। | 81.18 | 7.84 | 73.34 |
| | **योग (सड़क निर्माण)** | **257.66** | **24.87** | **232.79** |
| | **नाला निर्माण से संबंधित कार्य** | | | |
| 4 | बंधे बजरंगी मास्टर एवं मनोज शुक्ला के मकान तक नाला का कार्य। | 37.14 | 3.59 | 33.55 |
| 5 | जंगल हकीम नं0 2 में पुलिया से तिकोनिया जंगल तक सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य। | 95.85 | 9.25 | 86.60 |
| 6 | जंगल हकीम नं0 2 में पादरी बाजार रोड से ए0के0 शर्मा एवं प्रवीण तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण। | 83.89 | 8.10 | 75.79 |
| 7 | जंगल हकीम नं0 2 में पादरी बाजार रोड से शाकीर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण। | 62.30 | 6.00 | 56.30 |
| 8 | जंगल हकीम नं0 2 में मेवालाल से पासी टोला चौक होते हुए टी.एन. स्कूल एवं राम मिलन तक आर.सी.सी. नाला निर्माण। | 119.81 | 11.57 | 108.24 |
| 9 | जंगल बहादुर अली में सुरेमन से मुख्य मार्ग तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 127.80 | 12.34 | 115.46 |
| 10 | गुलहरिया थाना के सामने से ग्राम प्रधान राजेश निषाद तक नाला निर्माण का कार्य। | 220.00 | 21.24 | 88.76 |
| 11 | नरूद्दीन चक मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण कार्य। | 131.60 | 12.70 | 118.90 |
| | **योग (नाला निर्माण)** | 878.39 | **84.79** | **683.60** |
| | **कुल योग (सड़क निर्माण+ नाला निर्माण)** | **1136.05** | **109.66** | **916.39** |

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 1 से 03 तक के कार्यों हेतु होने वाला व्यय रू. 2,32,79,000 (रू. दो करोड़ बत्तीस लाख उन्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 के अधीन लेखाशीर्षक 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य तथा क्रमांक 04 से 11 तक के कार्यों हेतु होने वाला व्यय रू. 6,83,60,000 (रू. छ: करोड़ तिरासी लाख साठ हजार मात्र) को लेखाशीर्षक-4215021010302 जल निकासी कार्यक्रम के चालू कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

**संख्या:699/2023/1541/35-4-2023/001-35-4099/146/2021 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी गोरखपुर।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- मुख्य/अधिशासी अभियंता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण ,गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।